प्रेषक,
राधे मोहन श्रीवास्तव,
विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शी
उत्तर प्रदेश शासन,
विधि कोष्ठक मा०उच्च न्यायालय
इलाहाबाद।

सेवा में,
महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद ।

संख्याः ए०एल०आर-ए/एच०सी०/विविध-241 दिनांक २४-५-२०२३

विषयः उ०प्र०राज्य के अधीन की गयी सेवाओं को जोडने एवं उसका लाभ प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर कृपया उ०प्र०राज्य के अधीन की गयी सेवाओं को जोडने एवं उसका लाभ प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में अधोहस्ताक्ष्ररी के पत्र संख्या ए०एल०आर/ए/जी/विविध-३७४ दिनांकित २६-६-२०२२ का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा मेरे राज्य सरकार के अधीन सहायक अभियोजन अधिकारी के पद पर दिनांक ११-४-२००५ से दिनांक २०-६-२००६ तक की गयी सेवाओं को वर्तमान सेवा के साथ सम्मिलित किये जाने हेतु निवेदन किया गया था।

उक्त के अनुक्रम में मा० उच्च न्यायालय के सम्बन्धित पोर्टल पर **Admin.A-1** अनुभाग द्वारा दिनांक ०१-२-२०२३ को आपत्ति निवारणार्थ पत्र पृष्ठांकित है। उक्त आपत्ति के माध्यम से वर्तमान सेवा से पूर्व सहायक अभियोजन अधिकारी के रूप में दिनांक ११-४-२००५ से २०-६-२००६ तक उ०प्र०शासन के अधीन अभियोजन विभाग में किये गये योगदान/कार्यो को पेंशन के उद्देश्य से अर्हकारी सेवा के सम्बन्ध में तथा पूर्व सेवाओं को वर्तमान सेवा में पेंशन सम्बन्धी अभिलाभों की दृष्टि से सुसंगत प्रावधानों /शासनादेशों/नियमों को उपलब्ध कराने हेतु कहा गया ताकि मामले में आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

उपरोक्त आपत्ति निवारणार्थ सादर अनुरोध है कि -

उ०प्र०शासन के अधीन सहायक अभियोजन अधिकारी के रूप में दिनांक ११-४-२००५ से २०-६-२००६ तक की गयी पूर्व सेवा में पेंशन **(NPS)** की सुविधा उपलब्ध थी तथा उसके उपरान्त की वर्तमान सेवा भी उपरोक्त पेंशन **(NPS)** एवं सेवानिवृत्तक अन्य लाभों से आच्छादित है। उपरोक्त दोनों सेवाओं को सम्मिलित करने से प्रार्थी की सेवा अवधि सहित पेंशन एवं सेवा निवृत्तिक अन्य लाभ उपलब्ध होगी तथा पूर्व सेवाओं की अवधि की पेंशन के मद में कटौती एरियर के रूप में की जा सकेगी। उपरोक्त दोनो सेवाएं उ०प्र०राज्य सरकार के अधीन है।

दोनो सेवाओं को पेंशन तथा सेवानिवृत्तिक लाभों के लिये गिने जाने के सम्बन्ध में उ०प्र०शासन द्वारा जारी शासनादेश संख्या सा-३-७२८/दस-९८-९०१-९८ (वित्त सामान्य) अनुभाग-३ लखनऊ दिनांकित १०-७-१९९८, शासनादेश संख्या १७/२०१६/सा-३-३४६/दस-२१६-९३३/८९ (वित्त सामान्य) अनुभाग-३ लखनऊ दिनांकित ३०-४-२०१६ सुसंगत एवं उल्लेखनीय है। इसके अतिरिक्त दिनांकित ३०-४-२०१६ के ही शासनादेश में सेवा जोडे जाने विषयक संगत नियम एवं शासनादेशों की सन्दर्भ सूची उल्लिखित की गयी है जो सुलभ अवलोकनार्थ एवं सन्दर्भ हेतु उपरोक्त शासनादेशों की प्रतिलिपि के साथ सादर संलग्न की जा रही है।

आपत्ति निवारणार्थ पत्र सादर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नकः यथा उपरोक्त
दिनांक २४-५-२०२३

सादर।

भवदीय,

(राधे मोहन श्रीवास्तव) 24/05/2023
विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शी,
उत्तर प्रदेश शासन।